

**उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 395 / 2021

1. कलवन्त सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
  2. बलवन्त सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
- वादीगण

बनाम

1. गुरप्रीत कौर पत्नी शिवजन्त सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
  2. बलराज सिंह पुत्र शिवजन्त सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
  3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
  4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
- प्रतिवादीगण

**निर्णय**

दिनांक :- 18/11/2022


वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1,2 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता एवं राज पेरोकार इस वाद में आज दिनांक 18/11/2022 को रणजीत कुमार उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 2 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित एवं कृषि भूमि का आपसी विनिमय किया जाता है :-

क. प्रतिवादी सं. 1-2 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से वादीगण को तबादला मे ब.हि.ब. प्राप्त

हुई :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
29 एमओडी-ए	16/257	1/2, 2, 9, 12, 19, 22	1.455 हैक्.
	17/264	3/2, 4/1, 7/1, 8/2, 13/2, 14/3	0.533 हैक्.
	18/263	1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1	1.385 हैक्.
	16/257	1/1, 10, 11/1	0.537 हैक्.
	18/263	6, 7/1	0.367 हैक्.

कुल तादादी 4.277 हैक्.

  
18.01.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार  
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 395/2021

1. कलवन्त सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
2. बलवन्त सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर । -- वादीगण

बनाम

1. गुरप्रीत कौर पत्नी शिवजन्त सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
2. बलराज सिंह पुत्र शिवजन्त सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर -- प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :- 18/11/2022


वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1,2 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता एवं राज पेरोकार इस वाद में आज दिनांक 18/11/2022 को रणजीत कुमार <sup>आर.ए.एस.</sup> उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 2 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित एवं कृषि भूमि का आपसी विनिमय किया जाता है :-

क. प्रतिवादी सं. 1-2 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से वादीगण को तबादला मे ब.हि.ब. प्राप्त

हुई :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
29 एमओडी-ए	16/257	1/2, 2, 9, 12, 19, 22	1.455 हैक्.
	17/264	3/2, 4/1, 7/1, 8/2, 13/2,	
		14/3	0.533 हैक्.
	18/263	1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2,	
		4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1	1.385 हैक्.
	16/257	1/1, 10, 11/1	0.537 हैक्.,
	18/263	6, 7/1	0.367 हैक्.

कुल तादादी 4.277 हैक्.


  
18.01.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ख. वादीगण के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को 1.837 हैक्., प्रतिवादी सं. 2 को 3.223 हैक्. तबादला मे प्राप्त हुई :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
32 एमओडी	31/267	1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20	5.060 हैक्.

चक 32 एमओडी मे वादीगण की व चक 29 एमओडी मे प्रतिवादी सं. 1-2 की शेष कृषि भूमि यथावत रहेगी। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा / सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन एवं रहन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 18/11/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
18.01.2022  
(रणजीत कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा